शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

# राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/रा.शि.के/साक्षर भारत/2012/21 भोपाल, दिनांक 19-1-12

प्रति

कलेक्टर एवं समन्वयक,
जिला लोक शिक्षा समिति
जिलाः – अलिराजपुर, अनुपपूर, अशोकनगर, बालाघाट, बढवानी, बैतूल, भिंड, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाडा,दमोह, दतिया, देवास, धार, डिंडोरी, गुना, ग्वालियर, हरदा, झाबुआ, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंडला, मदंसौर, मुरैना, नीमच,पन्ना, राजगढ, रतलाम, रीवा, सागर, सतना,सीहोर, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ, उमरिया, विदिशा।

विषयः— साक्षर भारत योजनान्तर्गत जिला, विकासखंड एवं पंचायत स्तर पर सब्सिडरी खाते खोले जाने की कार्रवाई के संबंध में।

संदर्भः— भारतीय स्टेट बैंक नोडल शाखा वल्लभ भवन भोपाल से त्रिदलीय संधि के कम में एवं भारतीय स्टेट बैंक का पत्र कमांक जी बी यू/ए पी के/377 दिनांक 14.01.2012।

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुकम में लेख है कि, साक्षर भारत योजनान्तर्गत विभिन्न स्तरों पर खोले जाने वाले सब्सिडरी खाते खोलने के कार्य मे परीक्षण के दौरान पाया गया है कि, खाते खोलने के आवेदन पत्रो को भरते समय त्रुटियां हो रही है जिससे खाते खोलने की प्रकिया मे अनावश्यक विलंब हो रहा है। इस समस्या के निराकरण हेतु भारतीय स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा विकासखंड स्तर पर विशेष केंप आयोजित कर खाते खोले जाने की कार्रवाई किये जाने का लेख किया है जिसमें की जाने वाली औपचारिकताओं को स्थानीय स्तर के बैंक प्रतिनिधि की उपस्थिति में पूर्ण किया जावेगा।

अतः आप अपने जिले में विकासखंड स्तर पर दिनांक 30 एवं 31 जनवरी 2012 को साक्षर भारत योजनान्तर्गत सब्सिडरी खाते खोले जाने हेतु विशेष कैंप आयोजित करें। जिसकी सूचना स्थानीय स्टेट बैंक अधिकारियों को भी दें जिससे बैंक प्रतिनिधि की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।इस हेतु नोडल शाखा के बैंक अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव 9425008654 एवं श्री सुधांशु कांसकर 9425015705 से संपर्क कर खाते खोले जाने की प्रकिया पूर्ण की जावे।

(अशोक बर्णवाल)
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

पृ.कमांक/रा.शि.के/साक्षर भारत/2012/22 भोपाल, दिनांक 19-1-12

प्रतिलिपि

1.अध्यक्ष, जिला पंचायत जिला की ओर सूचनार्थ प्रेषित!

2.मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तुत।

3.जिला शिक्षा अधिकारी जिला की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र जिला को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र तत्काल सचिव जिला लोक शिक्षा समिति को देकर आवश्यक सहयोग करे।

5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत विकासखंड जिला की ओर आवश्यक प्रकिया पूर्ण कर पंचायत स्तरीय खाते खोलने की कार्रवाई पूर्ण करें।

6.सचिव/प्रभारी जिला लोक शिक्षा समिति जिला की ओर लेख है कि विकासखंड स्तर के बैंक अधिकारी से समन्वय कर विशेष कैंप आयोजित कर संबंधित संयुक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को विकासखंड समन्वयक के माध्यम से कैंप दिनांक पर आवश्यक प्रपत्रों के साथ उपस्थिति सुनिशिचित करे।

7.शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक नोडल शाखा वल्लभ भवन भोपाल की ओर लेख है कि उक्त दिनांक में अपने अधिकारियों को निर्देशित कर संबंधित जिले एवं विकासखंड में जाकर पंचायत स्तरीय खातों के खोले जाने की कार्रवाई पूर्ण करे।

9.विकासखंड शिक्षा अधिकारी विकासखंड जिला को निदेशित किया जाता है कि खाते खोले जाने की आवश्यक प्रकिया पूर्ण कर पंचायत स्तरीय खाते खोलने की कार्रवाई पूर्ण करें।

10.निदेशक, राज्य संसाधन केन्द भोपाल एवं इंदौर की ओर लेख है कि उक्त दिनांक में आपके प्रतिनिधी की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करे।

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र